न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 02/2021(जी.सी.एम.एस.2021/09)

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र लालचन्द जाति नायक निवासी चक 3 वी तहसील श्रीकरणपुर।	1. दयाल कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति बावरी चक 10 एस ढाणी धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 2. बसनो पुत्री वीर सिंह जाति बावरी निवासी चक 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 3. श्रवण सिंह पुत्र जगीर सिंह जाति बावरी चक 10 एस ढाणी धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 4. गुरुदेव सिंह पुत्र करतार सिंह जाति बावरी चक 10 एस ढाणी धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 5. सतनाम सिंह पुत्र जगीर सिंह जाति बावरी चक 10 एस ढाणी धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 6. सतराम पुत्र जगसीर सिंह जाति बावरी चक 10 एस ढाणी धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 7. सुरजन सिंह पुत्र करतार सिंह जाति बावरी चक धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 8. सेवा सिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति बावरी चक 10 एस ढाणी धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–05.01.2021

उपस्थित:1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3

—निर्णय— दिनांक : 10.10.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 217/151 के मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 13/2 ता 25 की कुल 3.160 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 1 ता 13/1 की कुल 3.037 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 5 में प्रवेश कर किला नम्बर 6 में से होते हुए अपने किला नम्बर 15 में प्रवेश कर अपनी भूमि को काश्त करता है। प्रार्थी को अपनी आराजी में आने-जाने के लिए यही एक रास्ता है। जो सबसे निकटतम व सरल रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 5, 6 का रकबा अप्रार्थी संख्या 3 श्रवण सिंह के कब्जा काश्त में है। उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना आत्यंतिक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता हेतु प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण से मांग की है। तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 5 व 6 प्रत्येक की पूर्वी वट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता को मंजूर किये जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 15 में प्रवेश करने के लिए किला नम्बर 5, 6 में से होकर नहीं जाता है और ना ही कभी गया है। प्रार्थी के किला नम्बर 15 मे प्रवेश करके भूमि काश्त नहीं करता है। मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 5, 6 में कोई रास्ता नहीं चल रहा है। मुरब्बा नम्बर 80 की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

तमाम भूमि संयुक्त खाता की भूमि है, जिसका अभी तक किलावाईज विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी सहखातेदार किसी विशेष रकबा का एकल खातेदार नहीं है और ना ही किसी विशेष रकबा के लिए रास्ता की मांग कर सकता है। मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 5 की पूर्वी वट के साथ-साथ प्रार्थी ने रिहायशी ढाणी बना रखी है, जिसमें वह अपने परिवार सहित पिछले करीब 30 वर्षों से रिहायश किए हुए है, इसलिए मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 5 की पूर्वी वट के साथ-साथ ना तो रास्ता देने के लिए जगह शेष है और ना ही रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। प्रार्थी ने जानबुझकर अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ढाणी का कहीं जिक्र नहीं किया है। प्रार्थी ने सरासर गलत व झूठे कथनों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2024/600 दिनांक 05.08.2024 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक धनूर मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक धनूर व पटवारी हल्का धनूर द्वारा चक 10 एस के मुरब्बा नम्बर 80 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 15 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 5, 6 की पूर्वी वट के साथ-साथ 2-2 विस्वा भूमि में से रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ता की मांग अत्यातिंक है। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य विकल्प मौजूद नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता किला नम्बर 5, 6 में मौके पर पक्के कमरे का निर्माण किया हुआ है। मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 13/2 ता 25 की कुल 3.160 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम एकल खाते में दर्ज है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।"

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 217/151 के मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 13/2 ता 25 की कुल 3.160 हैक्टेयर भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 5, 6 से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 15 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 5, 6 से रास्ता व्यावहारिक व सबसे सुलभ एंव छोटा एंव पत्थर लाईन पर मौजूद है। प्रार्थी को रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 5 व 6 प्रत्येक की पूर्वी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इस रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 3 श्रवण सिंह पुत्र जंगीर सिंह को मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 15 की उत्तर दिशा में 0.0506 हैक्टेयर भूमि देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 10.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नः- 01501226005 ईमेल- sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2024/539 **दिनांक :- 10.10.2024**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 02/2021 अनवान सुरेन्द्र कुमार आदि बनाम दयाल कौर आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 10.10.2024 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2024 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 5 व 6 प्रत्येक की पूर्वी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इस रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 3 श्रवण सिंह पुत्र जंगीर सिंह को मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 15 की उतरी दिशा में 0.0506 हैक्टेयर भूमि देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर